

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

दंडप्र०सं०

प्रथम पक्ष — विद्या देवीबगैरह ।

बनाम

द्वितीय पक्ष — रामचन्द्र गोप बगैरह ।

वाद सं० 115 / 2022

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
12/5/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 45 / 2022 दिनांक 19/08/2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) विद्या देवी उम्र 37 वर्ष पिता मनीष कुमार गोप (2) मनीष कुमार गोप उम्र 40 वर्ष पिता मेघनाथ गोप ग्राम ससिया थाना बसिया बनाम द्वितीय पक्ष (1) रामचन्द्र गोप उम्र 35 वर्ष (2) बालेश्वर गोप उम्र 30 वर्ष दोनो पिता जागेश्वर गोप (3) दामोदर गोप उम्र 30 वर्ष (4) गंगाधर गोप उम्र 19 वर्ष ग्राम ससिया थाना बसिया जिला गुमला के बीच द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के लोगो को गाली गलौज एवं मारपीट करने को लेकर लड़ाई झगड़ा का विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्षो के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दंडप्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी हैं। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग नहीं होने की सूचना अप्राप्त होने एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।	




अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया (गुमला)।